न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 361/2016 दायरा दिनांक : 26.10.2016

उनवान

1– रूप चन्द आयु 45 वर्ष, पुत्र श्री किशननाथ, जाति नाथ, निवासी खानपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– छीतर नाथ आयु 35 वर्ष, पुत्र श्री रामप्रताप, जाति नाथ, निवासी खानपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– जोगराज नाथ आयु 43 वर्ष, पुत्र श्री रामप्रताप, जाति नाथ, निवासी खानपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– रामस्वरूप नाथ आयु 30 वर्ष, पुत्र श्री रामप्रताप, जाति नाथ, निवासी खानपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– रघुवीर नाथ आयु 23 वर्ष, पुत्र श्री रामप्रताप, जाति नाथ, निवासी खानपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 06.04.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 38/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मऊ तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.53 हेक्टर जिनके साबिक खसरा नम्बर 867 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा के सम्बन्ध में विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया तथा विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है । उक्त आराजी दिनांक 04.01.1974 को अपीलांटगण के दादा जी देवीलाल ने खसरा नम्बर 867 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जगन्नाथ महाजन से जो रायथल निवासी है से क्रय किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 129 खोला जाकर तस्दीक कर उनके खातेदारी में दर्ज की गई जब से लेकर आज तक अपीलांटगण व उससे पूर्व उनके पिता उससे पूर्व उनके दादा का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का कोई अवसर दिये बिना व बिना किसी प्रकार की सूचना दिये राजस्व कर्मचारियों द्वारा उनके खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजियात को सिवायचक कर दिया जो सीलिंग से अवाप्त होना बताया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2015 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई हल्का पटवारी द्वारा जानकारी दिये जाने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मऊ तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.53 हेक्टर जिनके साबिक खसरा नम्बर 867 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा थी । हमने खसरा नम्बर 867 जगन्नाथ महाजन से क्रय किया । वादग्रस्त आराजी 1974 में नामान्तरकरण संख्या 129 से हमारे खाते लग गई । जगन्नाथ के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही चली जिसमें वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दिया गया । सरकार ने बिना रिकार्ड के हमारा दावा खारिज कर दिया । जमाबंदी सम्वत 2029–32 में हमारा नाम दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है । डिक्लरेशन के दावे हेतु कोई लिमिटेशन नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी लिमिटेशन के आधार पर खारिज की जावे । लिमिटेशन हेतु एक एक दिन के डिले का स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में 6 तनकीयात कायम की है तथा तनकीवार विवेचन किया है । निष्कर्ष के रूप में अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत आराजी राजस्व ग्राम मऊ की प्रकरण 220/75 सीलिंग का निर्णय सहायक समाहर्ता बारां के आदेश कमांक 3114 दिनांक 07.03.1976 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 192 निर्णय दिनांक 05.06.1977 से सिवायचक घोषित की गई है । सिवायचक दर्ज भूमि पर अपीलांट वादीगण के विरूद्ध बतौर अतिक्रमी कार्यवाही विधि अनुरूप की जा रही है । अपीलांट वादीगण ने उक्त सीलिंग प्रकरण के निर्णय को छुपाकर प्रश्नगत आराजी को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज करने का गलत आधार पेश किया है जबकि प्रश्नगत आराजी सक्षम राजस्व न्यायालय के विधि अनुरूप निर्णय से सिवायचक दर्ज हुई है । यदि अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित सिवायचक निर्णय के विरूद्ध अपील दर्ज करके प्राप्त कर सकते थे, न कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद के द्वारा । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी सक्षम न्यायालय के विधि अनुरूप निर्णय द्वारा सिवायचक घोषित होने के कारण अपीलांट वादीगण को उक्त वाद के तहत खातेदार घोषित करने एवं अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं पाये जाने से वादीगण अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा